भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2172

जिसका उत्तर गुरुवार, 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है

कार्य में सुधार हेतु नवोन्मेषी उपाय

2172. डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पाँच वर्षों के दौरान सामान्य रूप से मंत्रालय और/या उसके विभिन्न विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा संबद्ध स्वायत निकायों द्वारा कार्य पद्धति में सुधार, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने तथा परिणामोन्मुखता में संवर्धन करने के लिए कोई नए और नवोन्मेषी उपाय किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन प्रयासों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : पिछले पांच वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने कार्य संस्कृति में सुधार, अधिक पारदर्शिता लाने तथा जवाबदेही बढ़ाने और परिणाम उन्मुख वृद्धि हेतु विभिन्न पहल की हैं । कुछ किए गए उपाय और उनके प्रभाव निम्न प्रकार हैं :-

(i) विधिक सूचना प्रबंध और ब्रिफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस), सरकार की मुकदमेबाजी को ऑनलाइन मॉनीटरी करने के लिए लाया गया है । यह न्यायालय मामलों की सक्रिय मॉनीटरी हेतु एक वेब आधारित एप्लीकेशन है । यह एक अभिनव और सरल पहुंच वाला ऑनलाइन साधन है जो सभी पणधारियों को 24X7 उपलब्ध है ।

(ii) ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना–इस परियोजना के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थ सार्वभौमिक कंप्यूटरीकरण के माध्यम से वादकारियों, वकीलों और न्यायपालिका को पदाभिहित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्ण किया गया है ।

(iii) आयकर अपीलीय अधीकरण (आईटीएटी) राजकोट, गुवाहाटी, रांची, पटना और जबलपुर पीठ में त्वरित न्याय परिदान हेतु ई-न्यायालय स्थापित किए गए हैं ।

(iv) प्रचालन विलंब में कटौती, जवाबदेही और पारदर्शिता लाना, दक्षता सुधार और सरकारी प्रतिक्रियाओं की स्थिरता और प्रभावशीलता हेतु ई-कार्यालय का कार्यान्वयन करना ।

(v) नोटरी प्रमाणपत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना ।

(vi) मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस 3.0), एक नई और उपयोगकर्ता अनुकूल संस्करण का विकास किया गया है और सभी कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगाए हैं, क्यू आर कोड सुविधा सॉफ्टवेयर में प्रचालित की गई है । मुद्रित क्यू आर कोड के आधार पर कोई भी मामले की वर्तमान प्रास्थिति जांच सकता है ।

(vii) पिछले पांच वर्षों के दौरान, 1486 अप्रचलित और अनावश्यक विधियां कानूनी पुस्तकों से हटाने के लिए निरसित की गईं हैं ।

(viii) सभी नागरिकों का विधिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने हेतु 1838 से 2019 तक की केन्द्रीय अनिरसित विधियों का भारतीय संहिता पोर्टल पर अद्यतन करना और उन्हें अपलोड करना ।

****